

2017/00033

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलोदी, जिला जोधपुर  
बड़जलास पीठासीन अधिकारी यशपाल आहुजा आर.ए.ए.ए.

राजस्व अपील संख्या :- 08/2017

अपीलांत	बनाम	रेस्पोंडेंट
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी		1. गणपतराम पुत्र खेराजराम जाति विशनोई निवासी विशनोई ढडु तहसील फलोदी जिला जोधपुर (बेचानकर्ता) 2. सूनडाराम पुत्र बावुराम जाति विशनोई निवासी विशनोई चक ढडु तहसील फलोदी जिला जोधपुर (खरीदकर्ता) 3. सरपंच ग्राम पंचायत ढडु

अपील अंतर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट 1956  
विरुद्ध ग्राम विशनोई चक के नामांतरकरण संख्या 05 दिनांक 21.07.2009 को ग्राम पंचायत ढडु द्वारा  
पारित किया गया।

अधिवक्तागण :-

1. अपीलांत स्वयं उपस्थित
2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता रेवन्तसिंह पातावत एवं करणीसिंह राठौड़  
उपस्थित
3. रेस्पोंडेंट संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।


निर्णय

दिनांक : 30-1-2020

अपीलांत की अपील का सांराश इस प्रकार है कि ग्राम ढडु के खसरा नम्बर 568/1 रकबा 26 बीघा में से गणपतराम पुत्र खेराजराम जाति विशनोई निवासी विशनोई चक (ढडु) अपने 1/3 हिस्सा में से कुल रकबा का 29/520 हिस्सा भूमि का बेचान दिनांक 07.07.2009 को प्रतिफल रूपये 10295/- में किया तथा दस्तावेज के अनुसार प्रतिफल लेना व मौके पर कब्जा देना स्वीकार किया है। ग्राम ढडु के सेटलमेंट के खसरा नम्बर 568 रकबा 57.19 बीघा को न्यायालय उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रकरण संख्या 05/1998 दिनांक 20.08.1998 के तहत कुर्क की जाकर थानाधिकारी फलोदी को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा थानाधिकारी फलोदी ने दिनांक 22.08.1998 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया। बेचान दिनांक 07.07.2009 के आधार पर ग्राम विशनोई चक का नामांतरकरण संख्या 05 ग्राम पंचायत ढडु द्वारा दिनांक 21.07.2009 को खरीददार के नाम से स्वीकृत कर दिया। बेचानकर्ता व खरीददार को जानकारी के बावजूद भी कि यह भूमि कुर्क है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना फलोदी के पास कब्जा है भूमि का बेचान कर कानूनी भूल की है भू.अ. नियमों के अनुसार भूमि का भौतिक रूप से तथा वैधानिक रूप से कब्जा हस्तांतरण होने पर ही नामांतरकरण स्वीकृत होता है जबकि इस नामांतरकरण की कार्यवाही में ऐसा नहीं हुआ है। अतः यह नामांतरकरण खारिज फरमाया जावे।

अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेंट्स की ओर से अधिवक्ता रेवन्तसिंह पातावत एवं करणीसिंह राठौड़ ने अपना वकालतनामा पेश किया। उभयपक्षकारान् की अपील पर बहस सुनी गयी।

अपीलांत ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि ग्राम ढडु के खसरा नम्बर 568/1 रकबा 26 बीघा में से गणपतराम पुत्र खेराजराम जाति विशनोई निवासी विशनोई चक (ढडु) अपने 1/3 हिस्सा में से कुल रकबा का 29/520 हिस्सा भूमि का बेचान दिनांक 07.07.2009

  
उपखण्ड अधिकारी, फलोदी

2  
। किया तथा दस्तावेज के अनुसार प्रतिफल लेना व मौके पर कब्जा देना स्वीकार किया है। ग्राम ढडु के सेटलमेंट के खसरा नम्बर 568 रकबा 57.19 बीघा को न्यायालय उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रकरण संख्या 05/1998 दिनांक 20.08.1998 के तहत कुर्क की जाकर थानाधिकारी फलोदी को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा थानाधिकारी फलोदी ने दिनांक 22.08.1998 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया। बेचान दिनांक 07.07.2009 के आधार पर ग्राम विशनोई चक का नामांतरकरण संख्या 05 ग्राम पंचायत ढडु द्वारा दिनांक 21.07.2009 को खरीददार के नाम से स्वीकृत कर दिया। बेचानकर्ता व खरीददार को जानकारी के बावजूद भी कि यह भूमि कुर्क है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना फलोदी के पास कब्जा है भूमि का बेचान कर कानूनी भूल की है भू.अ. नियमों के अनुसार भूमि का भौतिक रूप से तथा वैधानिक रूप से कब्जा हस्तांतरण होने पर ही नामांतरकरण स्वीकृत होता है जबकि इस नामांतरकरण की कार्यवाही में ऐसा नहीं हुआ है। अतः यह नामांतरकरण खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार फलोदी ने गलत अपील पेश की है मौके पर रेस्पोडेंटस का ही कब्जा चला आ रहा है तथा रेस्पोडेंटस संख्या 1 ने अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग करते हुवे उक्त भूमि को रेस्पोडेंटस संख्या 2 को बेचान किया है इसलिये बेचान दस्तावेजात के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 2 के हक में भरा गया नामांतरकरण विधि सम्मत है। रेस्पोडेंटस संख्या 2 सद्भाविक क्रेता है। अपील अपीलांत गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से खारिज फरमाई जावे।


वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात नामांतरकरण संख्या 05, विक्रय पत्र, कुर्की आदेश एवं कब्जा प्राप्ति फर्द इत्यादि दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम ढडु के खसरा नम्बर 568 रकबा 57.19 बीघा भूमि न्यायालय उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रकरण संख्या 05/1998 दिनांक 20.08.1998 के तहत कुर्क की जाकर थानाधिकारी फलोदी को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा थानाधिकारी फलोदी ने दिनांक 22.08.1998 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया। जो दस्तावेजात् से साबित है तथा उक्त कुर्की आदेश आज दिन तक बहाल है जिसकी जानकारी रेस्पोडेंटस को होने के बावजूद उनके द्वारा दिनांक 07.07.2009 को बेचान किया गया इसलिये रेस्पोडेंटस संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 को किया गया बेचान मात्र कागजी बेचान है जिसमें भूमि का वास्तविक एवं भौतिक रूप से कब्जा का हस्तांतरण नहीं किया है। उक्त बेचान विधि सम्मत नहीं होने से उक्त बेचान के आधार पर भरा गया नामांतरकरण संख्या 05 विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

### आदेश

अतः ग्राम विशनोई चक पटवार क्षेत्र ढडु तहसील के खसरा नम्बर 568 रकबा 26 बीघा में रेस्पोडेंटस संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेंटस संख्या 2 के हक में किये गये बेचान दिनांक 07.07.2009 के आधार पर रेस्पोडेंटस संख्या 2 के हक में भरा गया नामांतरकरण संख्या 05 मौजा विशनोई चक को खारिज किया जाता है। तहसीलदार फलोदी माफिक आदेश पालना करावे। पत्रावली फैसल सुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.11.20 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(यशपाल आहुजा आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड फलोदीकारी, फलोदी

